नवोन्मेष

रुक्टा (राष्ट्रीय)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : के. 52, कृष्णगंज, **अजमेर-305001**

दूरभाष : अध्यक्ष : डॉ. ग्यारसीलाल जाट, सीकर (01572) 245866, मो. 9414038866

महामंत्री : डॉ. मधुर मोहन रंगा, अजमेर (0145) 2429341, मो. 9414008425

परिपत्र क्रमांक : रुक्टा (रा.)/2012-13/02 **दिनांक: 10 सितम्बर, 2012**

(सभी इकाई सचिवों एवं सक्रिय सदस्यों को समस्त सदस्यों में प्रसारित करने के अनुरोध सहित प्रेषित)

प्रिय महोदय/महोदया

सादर नमस्कार!

गत परिपत्र के पश्चात् उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. दयारामजी परमार, उपशासन सचिव उच्च शिक्षा से वार्ता का विवरण, गैर सरकारी कृषि शैक्षिक संस्थाओं के व्याख्याताओं एवं पी.टी.आई. के पदस्थापन के आदेश, अनुदान प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के व्याख्याताओं के राज्य सेवा में उपस्थिति देने संबंधी आदेश, मुख्यमंत्रीजी व विधायकों को प्रेषित ज्ञापन के बिन्दुओं की जानकारी, प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक के विवरण, उच्च शिक्षा सेवा में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति का विरोध, विश्वविद्यालय शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में की गई कार्यवाही, विशेष भत्तों को विशेष वेतन में परिवर्तित करने के आदेश व अन्य जानकारियों के साथ यह परिपत्र आपको प्रेषित है:-

1. **उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. दयारामजी परमार से विश्वविद्यालयी व महाविद्यालयी शिक्षकों के एरियर के संबंध में वार्ता :-** संगठन ने 9-8-2012 को उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. दयाराम परमारजी से वार्ता कर राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के छठे वेतनमान के सम्पूर्ण एरियर व महाविद्यालयी शिक्षकों के वित्तिय वर्ष 2010-11 में देय शेष 40 प्रतिशत एरियर की राशि का शीघ्र भुगतान का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने अतिरिक्त वित्तिय भार के 80 प्रतिशत के चार वर्षीय भुगतान के संबंध में पूर्व में रखी गई सेवानिवृत्ति आयु की शर्त को हटा दिया है अब केन्द्र सरकार इस राशि का 2 व 3 किस्तों में राज्यों को पुन: भुगतान करेगी। इस संबंध में एम.एच.आर.डी. ने 19 जुलाई को निर्णय किया है। संगठन ने शिक्षामंत्रीजी से आग्रह किया है कि इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जाये। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष व महामंत्री ने शिक्षकों की अन्य समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की व ज्ञापन दिया।
2. **निदेशालय कॉलेज शिक्षा में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति का विरोध व इस आदेश को अविलम्ब वापिस लेने का आग्रह :-** संगठन ने 9-8-2012 को उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. दयारामजी परमार से मिलकर आग्रह किया है कि एक ओर सम्पूर्ण देश में उच्च शिक्षा को सरकारी नियंत्रण एवं नौकरशाही से मुक्त नवचिंतन हेतु प्रयास गतिशील हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अतिरिक्त निदेशक प्रशासनिक के पद पर 28-7-2012 को आर.ए.एस. अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार ने की है। यह निर्णय न केवल शिक्षकों के अधिकारों का दमन करता है, अपितु शिक्षकों को पदोन्नति के लिए पहले से ही कम प्राप्त अवसरों में कटौती करने वाला है। ध्यातव्य है कि निदेशालय में यह अधिकारी पद, वेतन व वेतनमान में संयुक्त निदेशक एवं प्राचार्यो से कम का है।

क्या यह कनिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देंगे? यह निर्धारित सेवा नियमों के विपरीत है। संगठन ने इस विषय में पत्र क्रमांक रुरा./5900 दिनांक 24-4-2010 द्वारा भी विरोध व्यक्त किया था। संगठन इसका तीव्र विरोध करता है व इस नियुक्ति को वापिस लेने का आग्रह मुख्यमंत्रीजी, शिक्षामंत्रीजी, मुख्यसचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा व कॉलेज शिक्षा निदेशक से किया है।

3. **मुख्यमंत्रीजी व उच्च शिक्षामंत्रीजी को शिक्षकों की लम्बित समस्याओं के संदर्भ में ज्ञापन :-** संगठन ने 17-8-2012 को मुख्यमंत्रीजी व उच्च शिक्षामंत्रीजी को शिक्षकों के विभिन्न लम्बित समस्याओं के संदर्भ में ज्ञापन प्रेषित कर शीघ्र समाधान की मांग की। ज्ञापन के विभिन्न विषय निम्न प्रकार है, राज्य के महाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन कर प्रोफेसर पदों पर पदोन्नति की जाये, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों की नवीन यू.जी.सी. वेतनमान में शेष रही एरियर राशि शीघ्र निर्गत की जाये। महाविद्यालय शिक्षा में स्थायी निदेशक व अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) की नियुक्ति शिक्षकों में से ही हो, स्थायी रूप से नियुक्त शिक्षकों को पूर्ण व अन्य लाभ वेतन परिवीक्षा काल की नियुक्ति तिथि से मानते हुए दिया जाये, वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमानों की पात्रता में पूर्व/अन्यत्र की गयी सेवा का समावेश किया जाये, पीएच.डी./एम.फिल की अग्रिम वेतन वृद्धियों को प्रोत्साहन माना जाये व पुनः वसूली गई राशि को शिक्षकों को लौटाई जाये, सेवानिवृत्त शिक्षकों को नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के अनुरूप पैंशन का पुनः निर्धारण किया जाये, पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षकों की संशोधित डी.पी.सी. शीघ्र कराई जाये, आर. वी. आर. ई. एस. प्राध्यापकों के यू.जी.सी. वेतनमान की एरियर राशि एवं कृषि संकाय व शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के वेतन निर्धारण का कार्य शीघ्र किया जाये, राज्य के विधि महाविद्यालयों को स्वतंत्र महाविद्यालयों का दर्जा प्रदान कर, पृथक कैडर सृजन के साथ प्राचार्य व उपाचार्य के पदों पर पदस्थापन व बजट का आवंटन किया जाये, सेवारत शिक्षकों को पीएच.डी. उपाधि हेतु कोर्सवर्क से मुक्त किया जाये, गैर अनुदानित शिक्षकों के वेतन, वेतनमान व सेवा शर्तों संबंधी प्रावधान विश्वविद्यालय अधिनियमों, शिक्षा अधिनियमों तथा गैर राजकीय संस्था अधिनियम में यथोचित संशोधन कर लागू किये जाये, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों की सेवा निवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाये, यू.जी.सी. वेतनमान योजना के प्रावधानों के अनुरूप स्टेपिंगअप की व्यवस्था लागू की जाये, व राज्य में उच्च शिक्षा संवर्ग का गठन किया जाये।

4. **रुक्टा (रा.) की विभिन्न इकाईयों द्वारा मुख्यमंत्रीजी व जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन :-** रुक्टा (रा) की लगभग सभी इकाईयों ने राज्य के मुख्यमंत्रीजी, क्षेत्रीय विधायकों, सांसदों व अन्य जनप्रतिनिधियों को शिक्षकों की विभिन्न मांगों के अविलम्ब निस्तारण हेतु सितम्बर माह में ज्ञापन दिये व आग्रह किया कि हमेशा की भांति आपका सहयोग अपेक्षित है। सभी जनप्रतिनिधियों ने इकाई सचिवों, सक्रिय कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर शिक्षकों की लम्बित समस्याओं के समाधान में सहयोग प्रदान करेंगे।

5. **उपशासन सचिव, उच्च शिक्षा से वार्ता :-** संगठन के अध्यक्ष व महामंत्री ने दिनांक 9-8-2012 को उपशासन सचिव, उच्च शिक्षा श्री बी. एल. कन्दोई से शासन सचिवालय में शिक्षकों की विभिन्न लम्बित समस्याओं पर चर्चा की व इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही का अनुरोध किया।

6. **विशेष भत्तों को विशेष वेतन में परिवर्तित करने के आदेश :-** नवीन यू.जी.सी. वेतनमान 2009 में उपाचार्य, प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय एवं प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय को देय विशेष भत्ते स्वीकृत किये थे जो पेंशन लाभों की श्रेणी में नहीं आते हैं। राज्य की अन्य सेवाओं में पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में विशेष भत्तों को दिनांक 1-6-2009 से विशेष वेतन में आदेश क्रमांक एफ 14(92) एफ डी/रुल्स/2009 दिनांक 23-7-2009 द्वारा परिवर्तित कर दिया गया था, नवीन यू.जी.सी. वेतनमानों में उपरोक्त आदेश की अनदेखी की गई है। संगठन ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिख कर व वार्ता कर आग्रह किया था कि विशेष भत्तों को विशेष वेतन माना जाये। अंततः राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये, इससे सेवानिवृत्त शिक्षकों को पैंशन में लाभ होगा। (क्रमांक प 5(54) नि.पे. वि./नियम/2011पार्ट 1/1013-1162 एच. दिनांक 3-6-2012, परिपत्र/स्था/निकाशि/2012/112 दिनांक 2-7-2012)।

7. **शैक्षिक महासंघ के रजत जयंती वर्ष का उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न :-** 12 अगस्त को राजस्थान शिक्षक संघ कार्यालय, जयपुर में शैक्षिक महासंघ के रजत जयंती वर्ष का उदघाटन कार्यक्रम रुक्टा (राष्ट्रीय) व राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. संतोष पाण्डेय ने की व मुख्य वक्ता के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रो. एन. के. पाण्डे, ने राष्ट्रीय निर्माण में शिक्षकों की भूमिका विषय पर उद्बोधन दिया।

8. **गैर सरकारी सहायता प्राप्त कृषि शैक्षिक संस्थाओं में नियमित रूप से नियुक्त 17 व्याख्याताओं व 2 शारीरिक शिक्षकों का पदस्थापन :-** राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ1(175) कृषि/स्था/निकाशि/2011/271 दिनांक 13-7-2012 के तहत गैर सरकारी सहायता प्राप्त कृषि संस्थाओं के व्याख्याताओं व शारीरिक शिक्षकों का पदस्थापन किया गया है। ये आदेश राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के नियम 4(3) क में वर्णितानुसार गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 8-11-2011 एवं दिनांक 20-1-2012 के अन्तर्गत जारी किये गये। संगठन लगातार अनुदान प्राप्त कृषि संकाय के शैक्षिक संस्थाओं के व्याख्याताओं व शारीरिक शिक्षकों के पदस्थापन की मांग कर रहा था।

9. **अनुदान प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के व्याख्याताओं को विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में उपस्थिति देने के निर्देश :-** राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक एफ1 (बी.एड.)/स्था/निकाशि/2012/259 दिनांक 11-7-2012 के तहत राज्य के अनुदानित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों से राज्य सेवा में समायोजित 46 शिक्षकों को विभिन्न महाविद्यालयों में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया है। यह आदेश राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2012 के अन्तर्गत जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि संगठन लगातार शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षकों को उच्च शिक्षा संवर्ग में सम्मिलित करने का आग्रह कर रहा था।

10. **विश्वविद्यालय के शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु कुलाधिपति जी से आग्रह :-** संगठन ने राजस्थान के विश्वविद्यालयी शिक्षकों के छठे वेतनमान के एरियर के भुगतान के संबंध में कुलाधिपति से आग्रह किया है कि इन शिक्षकों को 1-1-2006 से 30-9-2009 तक के बकाया का 60 प्रतिशत जो कि वित्तिय वर्ष 2009-10 में देय था व शेष 40 प्रतिशत एरियर अगले वित्तिय वर्ष 2010-2011 में दिया जाना था, अभी बाकी है। संगठन ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के वर्ष 2008 में चयनित शिक्षकों के 11 माह (जनवरी 2009 से नवम्बर 2009) तक के अनुचित अतिरिक्त आवासीय किराया कटौती के पुन: भुगतान का अनुरोध किया है।

11. **प्रान्तीय कार्यकारिणी बैठक सम्पन्न :-** प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक दिनांक 26-8-2012 को देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर जयपुर में संगठन के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम महामंत्री ने पूर्व बैठक के बिन्दुओं को प्रस्तुत किया जिनका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। तत्पश्चात महामंत्री ने संगठन की गतिविधियों की जानकारी से सदस्यों को अवगत कराया। सभी सदस्यों ने उन्हें पूर्व में दिये प्रवास कार्यक्रम के आधार पर सदस्यता एकत्रित करने की जानकारी प्रदान की। सभी इकाई सचिवों से आग्रह किया गया कि 10 सितम्बर तक मुख्यमंत्रीजी व जन प्रतिनिधियों को ज्ञापन भेजा जाये, जिसकी सूचना समाचार पत्रों में देवें व अखबार की कटिंग महामंत्री को प्रेषित करें। मुख्यमंत्री व जनप्रतिनिधियों को प्रेषित पत्र व ज्ञापन की प्रति सदस्यों को भेज दी गई है। यह सम्पूर्ण जानकारी संगठन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। 26-27-28 अक्टूबर 2012 को बैंगलुरु में आयोजित शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रांतीय कार्यकारिणी, विभागीय समितियों, प्रकोष्ठों के सदस्य अपेक्षित है अत: सभी सदस्य अपना आरक्षण कराना सुनिश्चित करें। शैक्षिक महासंघ के तत्वावधान में नवम्बर में शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन जयपुर में होगा, जिसका विषय "Regulatory Mechanism in Higher Education" सभी सदस्यों से आग्रह है कि इसमें अपना शोध पत्र प्रस्तुत करे। यह कार्यक्रम शैक्षिक प्रकोष्ठ के संयोजक डॉ. राजेन्द्र शर्मा सम्पादित करेंगे। संगठन का आगामी प्रांतीय अधिवेशन जनवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया

जाना है इस हेतु इच्छुक इकाई अपना प्रस्ताव महामंत्री को प्रस्ताव अविलम्ब भिजवाये। संगठन का अभ्यास वर्ग मई माह में प्रस्तावित है।

12. **संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं का महाविद्यालयों में प्रवास :-** संगठन की कार्ययोजना के अनुसार प्रांतीय कार्यकारिणी, विभागीय समितियों व प्रकोष्ठ के संयोजकों ने राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में प्रवास कर संगठन की गतिविधियों की जानकारी प्रदान कर सदस्यता एकत्रित की। प्रवास कार्यक्रम से संगठन को शिक्षकों की अन्य समस्याओं की भी जानकारी प्राप्त हुई। जिन्हें सदस्यों ने महामंत्री को अवगत कराया।

13. **म. द. स. विश्वविद्यालयों के शिक्षक अंशदायी कल्याण कोष में रुक्टा (रा.) के प्रतिनिधित्व हेतु आग्रह :-** संगठन ने म. द. स. विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि रुक्टा (रा.) राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों का प्रतिनिधि संगठन है। विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक एफ 14 (शि.क.को.) शै.क्ष./म.द.स. विवि.20120/19.5.2012 के आदेश में संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं है अत: संशोधित आदेश जारी कर संगठन को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाये।

14. **सदस्यता वर्ष 2012-13 में प्राप्त सदस्यता इस प्रकार है :- राजकीय महाविद्यालयों में** आर. आर. अलवर 95, कला, अलवर 80, राजगढ़ 38, बीबीरानी 20, बहरोड़ 17, कन्या अलवर 50, अजमेर 195, कन्या अजमेर 16, गोविन्दगढ़ 01, थानागाजी 17, उनियारा 12, बांगड़ पाली 53, विधि पाली 03, कन्या पाली 09, भीनमाल 10, गंगापुरसिटी 23, करौली 45, बयाना 17, कन्या बयाना 01, कन्या करौली 03, कन्या नीमकाथाना 04, सरदार शहर 19, खेतड़ी 39, नीमकाथाना 35, डीडवाना 31, लोहिया चूरू 60, सुजानगढ़ 28, रतनगढ़ 13, कन्या रतनगढ़ 05, रामगढ़ 04, तारानगर 15, कन्या शाहपुरा 13, कन्या डूंगरपुर 14, डूंगरपुर 37, कन्या झुंझुंनू 16, झुंझुंनू 20, हिन्डौनसिटी 10, चिमनपुरा 101, धौलपुर 35, सवाईमाधोपुर 50, कन्या सवाईमाधोपुर 11, नाथद्वारा 38, कन्या नाथद्वारा 15, आमेट 07, मीरा कन्या उदयपुर 60, कुशलगढ़ 10, कन्या बून्दी 06, बून्दी 62, कन्या चौमू 05, कालाडेरा 46, कोटड़ा 06, एम.एस. जे. भरतपुर 113, विधि भरतपुर 04, भीम 06, सोजतसिटी 16, केकड़ी 09, डीग 23, कन्या भरतपुर 41, एस.डी. ब्यावर 81, नागौर 18, विधि नागौर 02, जालोर 20, कन्या जालोर 03, डूंगर बीकानेर 116, नोखा 14, कन्या नागौर 07, किशनगढ़ 48, कन्या सिरोही 02, सिरोही 30, नसीराबाद 18, एस.के. सीकर 125, विधि सीकर 04, सांभरलेक 27, मालपुरा 21, देवली 05, शिवगंज 07, केलवाड़ा 01, लालसोट 04, बांदीकुई 22, कन्या दौसा 07, आयुक्तालय 01, दौसा 86, बांसवाड़ा 50, कन्या बांसवाड़ा 14, वाणिज्य कोटा 28, बारां कन्या 13, बारां 27, एन. एम. हनुमानगढ़ 14, श्रीगंगानगर 12, विधि गंगानगर 01, कन्या गंगानगर 19, नोहर 18, एम. एस. बीकानेर 40, सलुम्बर 14, राजसमंद 06, सागवाड़ा 11, खैरवाड़ा 16, चित्तौड़ 45, कन्या चित्तौड़ 10, निम्बाहेड़ा 11, मण्डपिया 01, प्रतापगढ़ 10, कोटा 133, आबूरोड़ 11, जैतारण 02, कन्या टोंक 09, टोंक 53, एम.एल.वी. भीलवाड़ा 80, कन्या झालावाड़ 10, झालावाड़ 36, भवानीमंडी 12, कला संस्थान जयपुर 12, कोटपुतली 66, कन्या कोटपुतली 10, मेड़तासिटी 13, बाड़मेर 26, कन्या बाड़मेर 06, बालोतरा 01, कन्या बालोतरा 04, जैसलमेर 09, कन्या जैलसमेर 08, कन्या कोटा 58, भोपालगढ़ 11, पीपाड़ सिटी 02, शाहपुरा 12, माडलगढ़ 02, कन्या भीलवाड़ा 45, **गैर राजकीय महाविद्यालयों में** हटुण्डी 01, महर्षि दयानंद झुंझुंनू 13, आर.डी.एम. झुंझुंनू 14, मित्तल महिला सरदारशहर 04, सुबोध जैन जयपुर 11, व्यापार मंडल हनुमानगढ़ 20, एस.डी. श्रीगंगानगर 04, **विश्वविद्यालयों में** म.द.स. अजमेर 12, ज. ना. व्यास जोधपुर 14, मो. ला. सु. उदयपुर 19, कोटा विश्वविद्यालय 07, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर 40, म.ग.स. बीकानेर 18 कुल सदस्यता 3569 प्राप्त हुई है। साभार!

भवदीय

(डॉ. मधुरमोहन रंगा)
[महामंत्री रुक्टा (रा.)]

के. 52
कृष्ण गंज, अजमेर-305 001 (राज.)